केन्द्रशासित प्रदेश : जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख

- 5 अगस्त, 2019 को राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019** प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को दो केन्द्रशासित प्रदेश घोषित किया गया।
- 9 अगस्त, 2019 को यह विधेयक, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् अधिनियम बना।
- 31 अक्टूबर, 2019 को **सरदार बल्लभ भाई पटेल** की जयंती पर यह अधिनियम अंतिम रूप से लागू हो गया। इस तिथि से भारत में **28 राज्य** और **9 केन्द्रशासित प्रदेश** हो गए है।
- 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य भारत के नए दो केन्द्रशासित प्रदेश **जम्मू-कश्मीर** (अनु.-239A के अनुसार) तथा **लद्दाख** (अनु-239 के अनुसार) के रूप में विधिवत अस्तित्व में आया।
- **2 नवम्बर, 2019** को दोनों नए केन्द्रशासित प्रदेशों का मानचित्र जारी किया गया।
- **लद्दाख** में विधानसभा नहीं होगी, एक **उप-राज्यपाल** होगा जो वहाँ का शासन चलाएगा।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले उप-राज्यपाल **गिरिश चंद्र मुर्मू** तथा लद्दाख के पहले उप-राज्यपाल **राधा कृष्ण माथूर** है।
- वर्तमान में केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी **श्रीनगर** तथा शीतकालीन राजधानी **जम्मू** है।
- केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी **लेह** है।
- जम्मू-कश्मीर को **विधानसभा** के साथ केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया है।
- अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल **5 वर्ष** का होगा।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान सभा सदस्य की कुल संख्या **107** होगी, जिसमें से **24 सीटें पाक-अधिकृत कश्मीर** के लिए रिक्त रखी जाएंगी।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए लोक सभा की **5 सीटें** तथा राज्य सभा की **4 सीटें** निर्धारित की गई है।
- वर्तमान में केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कुल **22 जिले** है जिनके नाम है – अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बडगाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर, **मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद**।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के नए नक्शों में पाक अधिकृत दो जिलों **मुजफ्फराबाद एवं मीरपुर** को शामिल किया गया है।
- वर्तमान में केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में दो जिले है – **लेह तथा कारगिल**।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का सबसे बड़ा जिला **किश्तवाड़** है।
- पाक अधिकृत कश्मीर (POK) को लद्दाख में शामिल किया गया है।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सीमा **दो राज्यों** (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश) तथा **एक केन्द्रशासित प्रदेश** (लद्दाख) से लगती है।
- केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा **एक राज्य** (हिमाचल प्रदेश) तथा **एक केन्द्रशासित प्रदेश** (जम्मू-कश्मीर) से लगती है।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एकमात्र देश **पाकिस्तान** के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है।
- केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख **तीन देशों** (पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन) के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है।
- वर्तमान में तीन केन्द्रशासित प्रदेशों (**दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू-कश्मीर**) में विधान सभा है।
- वर्तमान में कुल छः राज्यों (**उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश**) में विधान परिषद् है।
- वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केन्द्रशासित प्रदेश **लद्दाख** तथा सबसे छोटा केन्द्रशासित प्रदेश **लक्षद्वीप** है।
- वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केन्द्रशासित प्रदेश **दिल्ली** तथा सबसे छोटा केन्द्रशासित प्रदेश **लक्षद्वीप** है।
- वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला **लेह** (पहले-कच्छ) तथा सबसे छोटा जिला **माहे** (पुदुचेरी) है।

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य के रूप में जम्मू-कश्मीर की स्थापना – **26 अक्टूबर,** 1947
- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 लागू हुआ – **17 अक्टूबर,** 1949 को
- जम्मू-कश्मीर में धारा 35-A को लागू किया गया – **14 मई,** 1954
- जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू हुआ था – **26 जनवरी,** 1957 को
- वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या – **10**
- जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त – **5 अगस्त,** 2019
- जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया – **31 अक्टूबर, 2019 को**
- अनुच्छेद-370 संबंधित है – **संविधान के भाग-21 से**
- पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल होता था – **6 वर्ष** का
- अनुच्छेद-370 में कुल कितने खंड थे – **तीन**
- जम्मू-कश्मीर से अनु.-370 का खंड नहीं हटाया गया है – **खंड-1**

Scanned by CamScanner